

बिहार विधान परिषद में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

<p>श्री बैद्यनाथ प्रसाद, मा० स० वि० प० द्वारा 173वें सत्र में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-आर०आर०-2 के संबंध में</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p align="center">प्रश्न</p>	<p align="center">उत्तर</p>
<p>(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले के तरियानी प्रखंडान्तर्गत विश्वम्भरपुर, ग्राम में दिनांक-9 मई 2009 को अग्निकांड के कारण 73 परिवारों का आवासीय मकान जलकर राख हो गया,</p>	<p>स्वीकारात्मक है ।</p>
<p>(ख) क्या यह सही है कि अग्निकांड से प्रभावित सभी 73 परिवारों का अंचल अधिकारी तरियानी के द्वारा एस०भी० नं० 10, 2009-10 के माध्यम से वस्त्र वर्तन एवं अन्य खर्च के रूप में 2250=00 की दर से सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी,</p>	<p>स्वीकारात्मक है ।</p>
<p>(ग) क्या यह सही है कि पीड़ित 73 परिवारों में 68 परिवारों जो बी०पी०एल० श्रेणी के हैं को इंदिरा आवास योजना का लाभ देकर गृह निर्माण कराया गया है,</p>	<p>आंशिक अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पीड़ित 73 परिवारों में से 52 परिवारों को इंदिरा आवास दिया गया है शेष 21 परिवार ए०पी०एल० के अंतर्गत आते हैं नियमानुसार ए०पी०एल० परिवारों को इंदिरा आवास देय नहीं है ।</p>
<p>(घ) क्या यह सही है कि पीड़ित परिवारों में से दुखा महतो, राजनारायण महतो, संजय महतो, अशोक महतो एवं राम बाबू महतो को ए०पी०एल० श्रेणी में रहने के कारण इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया जा सका,</p>	<p>स्वीकारात्मक है ।</p>
<p>(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या कंडिका (क) में वर्णित अग्निकांड में पीड़ित परिवारों में से इंदिरा आवास के लाभ से वंचित 5 परिवारों को आपदा प्रबंधन के मद से विशेष इंदिरा आवास निर्माण करने विचार सरकार रखती है ?</p>	<p>आपदा प्रबंधन विभाग से इंदिरा आवास निर्माण हेतु राशि देने का प्रावधान नहीं है। वस्तुतः अग्निपीड़ित परिवारों को इंदिरा आवास अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन पर ग्रामीण विकास विभाग के मद से देय है, किन्तु ए०पी०एल० परिवारों को इंदिरा आवास देय नहीं है।</p>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि0प0अ0सू0प्र0-10/2013/...../आ0प्र, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक -2091(5) दि0-22.02.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


ह0/-

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि0प0अ0सू0प्र0-10/2013/...../आ0प्र, पटना-15, दि0- 2/4/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव